न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 250/2020 दायर दिनाँक 16.09.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. युनुस अली पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 60 वर्ष जाति सॉई निवासी छापरी खुर्द, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. युसुफ अली पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 65 वर्ष 2. याकूब अली पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 55 वर्ष जाति सॉई निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैरह। 3. तहसीलदार, डीडवाना जिला–नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री मुस्ताक खां वकील वादी
2. श्री सुरेन्द्र पुरी वकील प्रतिवादी सं0 01 व 02

दिनाँक 04.01.2021

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग का सामलाती खेत पुराना खसरा नम्बर 60 रकबा 03 बीघा व खसरा नम्बर 72 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि का ग्राम छापरी खुर्द तहसील डीडवाना में स्थित है।

यह है कि वर्तमान सेटलमेन्ट के तहत उक्त खसरों की भूमि को बीघा ईकाई से हैक्टेयर में परिवर्तित किया गया है तथा तीन नये खसरे क्रमशः 108, 111 व 132 बनाये गये है, जो खसरा नम्बर 108 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.4[illegible] हैक्टेयर व खसरा नम्बर 132 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर दर्शाया गया है।

यह है कि उक्त नजरी न[illegible] सं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि [illegible] केवल 0.05 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज की गई है, [illegible] भूमि 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:05:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

21 हैक्टेयर है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 111 में 0.43 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई है, जबकी खसरा नम्बर 108 की भूमि 0.12 हैक्टेयर है तथा खसरा नम्बर 132 में 0.22 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई है जबकी उक्त खसरा नम्बर 132 की भूमि 0.37 हैक्टेयर है। कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि है। एवं नक्शा ट्रेस मौजा ग्राम छापरी खुर्द तहसील डीडवाना में उक्त खसरा नम्बर 132 की पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 110 तक ही दर्शाई गई है, जबकि वास्तविक रूप से मौके पर खसरा नम्बर 132 की पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 107 की पश्चिमी सीमा के बराबर में स्थित है।

यह है की वादी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती के इस वाद द्वारा यह घोषित करवाना चाहता है कि खसरा नम्बर 108 की भूमि 0.21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 111 की भूमि 0.12 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 132 की भूमि 0.37 हैक्टेयर कुल 0.70 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम घोषित की जावें एवं राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 108 का रकबा 0.05 हैक्टेयर की जगह 0.21 हैक्टेयर, खसरा सं0 111 का रकबा 0.43 हैक्टेयर की जगह 0.12 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 132 का रकबा 0.22 हैक्टेयर की जगह 0.37 हैक्टेयर कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्ती की जावें।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है –

1) यह है कि इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावें कि खसरा नम्बर 108 की भूमि 0.21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 111 की भूमि 0.12 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 132 की भूमि 0.37 हैक्टेयर कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 की खातेदारी की हैं।

2) यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर ग्राम छापरी खुर्द के खसरा नम्बर 108 का रकबा 0.05 हैक्टेयर की जगह 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 का रकबा 0.43 हैक्टेयर की जगह 0.12 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 132 का रकबा 0.22 हैक्टेयर की जगह 0.37 हैक्टेयर [illegible] 0.70 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 [illegible] जावें।

3) यह है कि नक्शा ट्रेस मौजा [illegible] डीडवाना के खसरा नम्बर 132 की पश्चिमी सीमा खसरा 110 तक [illegible] है, जिसे नजरी नक्शा एवं मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 132 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:05:07 IST
Reason: SelfAttested

15/80
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पश्चिमी सीमा खसरा नम्बर 107 की पश्चिमी सीमा के बराबर दर्शाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

वादी के वाद को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 ने इकबालिया जवाब व राजीनामा पेश किया। तहसीलदार डीडवाना से मौका जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 5100 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार बिन्दु संख्या 08 की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 108, 109, 109/360, 1110, 111, 132 में लाल स्याही से की गई तरमीम अनुसार अंकन नक्शे में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस के तर्कों पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर वाके सरहद छापरी खुर्द के खसरा सं0 108, 109, 109/360, 1110, 111, 132 का तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पत्रांक 5100 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम/अंकन किया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पत्रांक 5100 दिनांक 04.01.2021 निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

15180
सहायक कलेक्टर
(अंशुल सिंह)
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 04.01.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:05:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(अंशुल सिंह)
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 250/2020 दायर दिनाँक 16.09.220

वादी		प्रतिवादीगण
1. युनुस अली पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 60 वर्ष जाति सॉई निवासी छापरी खुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. युसुफ अली पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 65 वर्ष 2. याकूब अली पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 55 वर्ष जाति सॉई निवासी छापरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैरह। 3. तहसीलदार, डीडवाना जिला–नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनॉक 04.01.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मुस्ताक खां वकील वादी व श्री सुरेन्द्र पुरी वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वाके सरहद छापरी खुर्द के खसरा सं0 108, 109, 109/360, 1110, 111, 132 का तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पत्रांक 5100 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम/अंकन किया जावें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिग............–............... बाबत.....................–............ आज की तारीख को अदा ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख 04.01.2021 को सरे करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील	–		फीस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान	–		बाबत इजराय		
फीस कमिश्नर			हुक्मनामा		
बाबत इजराय			[illegible]		
हुक्मनामा			[illegible]		
मुतफर्रिक			[illegible]		
मिजान					

नोट–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन ... चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:05:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner